


प्रातः,

समस्त सदस्यगण राजस्व मन्डल ग्वालियर म०प्र०

निगरानी प्रकरण क्रमांक /०६

R 1923-III/2006



CF 15

क्र. 223/6 2750182
19-10-06 को प्रस्तुत।

प्रमोद कुमार तनय रामचोतार गर्ग साकिन कोटा तहसील नागाँव,

जिला सतना म०प्र० ----- निगरानीकर्ता/ वाक्यक

गजबंदी मन्डल न० प्र० साकिनार

विरुद्ध

रमादेकर तनय जगतदेव प्रसाद ब्रा० साकिन कोटा, तहसीलनागाँव, जिला

सतना म०प्र० ----- गैरनिगरानीकर्ता/ वाक्यक

निगरानी विरुद्ध वाक्य दिनांक 12-9-06 जरिये

प्रकरण क्रमांक 139/अपील/ 06-07 जिसके तहत अनुविभागीय

अधिकारी नागाँव, नेप्रकरण क्रमांक 78/अपील/099-2000

वाक्य दिनांक 7-11-2000 को स्वीकार किये जाने के विरुद्ध

25/3/07
9/1/07

अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० मुराजस्व संहिता।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1- यहकि अधीनस्थ न्यायालय का वाक्य विधि एवं प्रक्रिया के

विरुद्ध होनेसे काविले निरस्तगी है।

2- यहकि अधीनस्थ न्यायालयने यह निष्कर्ष निकालने मे कानूनी

मूल की हैकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत जांच उपरान्त ही



